"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 854] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 28, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–4/2013/38–2 (पार्ट). — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 827/पी.यू./कलिंगा वि.वि./2016/10983, दिनांक 26–09–2019 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम–कोटनी पलौद, तह.–आरंग, जिला–रायपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 79 से 108 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम, 2005 (क 13सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क़ – 79

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. **प्रयोज्यता :**

दूरस्थ शिक्षा संस्थान निम्न व्यवसायिक और पारंपरिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर (सेमेस्टर) पाठ्यक्रमों को डिग्री/डिप्लोमा के अवार्ड के लिए प्रस्तावित करेगा तथा यह नियम निम्न अध्यादेश पर लागू होंगे।

अध्यादेश कमांक	पाठ्यक्रम के नाम	अवधि	परीक्षा पद्धति	अध्यापन और परीक्षा का माध्यम
स्नातक कार्यक्रम				
80	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
81	कला में स्नातक (बी.ए)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
82	व्यवसाय प्रबंध में स्नातक (बीबीए)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
83	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बीसीए)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
स्नातकोत्तर कार्यक्रम				
84	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
85	व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
86	वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
87	हिन्दी में स्नातकोत्तर (एम.ए)	2 वर्ष	सेमेस्टर	हिन्दी
88	अंग्रेजी में स्नातकोत्तर – एम.ए.(अंग्रेजी)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी
89	संस्कृत में स्नातकोत्तर– एम.ए. (संस्कृत)	2 वर्ष	सेमेस्टर	संस्कृत/ हिन्दी
90	लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर– एम.ए. (लोक प्रशासन)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
91	इतिहास में स्नातकोत्तर– एम.ए. (इतिहास)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
92	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर – एम.ए. (मनोविज्ञान)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी

93	राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर – एम.ए. (राजनीति विज्ञान)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
94	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर – एम.ए. (अर्थशास्त्र)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
95	समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर – एम.ए. (समाज शास्त्र)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
96	गणित में स्नातकोत्तर – एम.ए. (गणित)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
97	भूगोल में स्नातकोत्तर – एम.ए. (भूगोल)	2 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम			
98	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
99	पी.जी.डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी (पी.जी.डी.एफ.डी.टी.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
100	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंनटेनेन्स एंड इलेक्ट्रानिक्स (पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
101	पी.जी.डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट (पी.जी.डी.आर.एम.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
102	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन (पी.जी.डी.सी.जी.ए.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
103	पी.जी.डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड टेक्स कंसल्टेन्सी (पी.जी.डी.एफ.टी.सी.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
	डिप्लोमा कार्यक्रम			
104	डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस एंड किमीनोलॉजी	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
105	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
106	डिप्लोमा इन एन्टरप्रन्योरशिप डेव्हलपमेंट (डी.इ.डी)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
107	डिप्लोमा इन इनवेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट (डी.आइ.पी.एम.)	1 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी
108	एडवांस डिप्लोमा इन इंटिरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन (ए.डी.इ.डी.डी)	3 वर्ष	सेमेस्टर	अंग्रेजी/हिन्दी

2. **पात्रता :**

2.1 उम्मीदवार जो कि डिप्लोमा/बैचलर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक है। किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में संबंधित विषयों के साथ उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

2.2 उम्मीदवार जो स्नातोकोत्तर डिप्लोमा/मास्टर डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक है यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. **शैक्षणिक वर्ष :**

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

4. **प्रवेश :**

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व समाचार पत्रों,विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य विज्ञापन के माध्यम सोशल मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश हेतु आवेदन अधिकृत परामर्श केन्द्रो में अथवा दूरस्थ शिक्षा संस्थान में आनलाईन या ऑफलाईन जमा किया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी को अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की अंकसूची प्रस्तुत करनी होगी तथा अंतिम सेमेस्टर/वर्ष में सम्मिलित होने संबंधी तथा परिमाण की प्रतीक्षा में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अगर विद्यार्थी निर्णित दिनांक तक यह सबूत प्रस्तुत नही कर पाता है तो दिया गया प्रोविजनल प्रवेश को निरस्त किया जायेगा।

5. **प्रवेश का निरस्तीकरण :**

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त हो सकेगा :–

(1) किसी भी स्तर में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/मार्गदर्शिका या विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा नही करता है।

(2) संस्थान/विश्वविद्यालय में संपूर्ण अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।

(3) प्रवेश पाने हेतु जाली या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया पाया जाता है या प्रवेश पाने हेतु अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।

(4) छात्र द्वारा शुल्क का भुगतान नही किया गया है।

(5) किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।

(6) प्रवेश के लिये आवश्यक समर्थित दस्तावेज को संलग्न नहीं किया गया हो।

विद्यार्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण एवं सत्यापन तथा शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन कमांक प्रदान किया जायेगा

6. **आगामी सेमेस्टर /वर्ष में पदोन्नति :**

उम्मीदवार को स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डिप्लोमा के आगामी सेमेस्टर/वर्ष में पदोन्नति की जा सकेगी। अगर उम्मीदवार को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका न गया हो या अन्य किसी उचित कारण से।

7. **अवधि :**

किसी कार्यक्रम के पास होने तथा श्रेणी/अंक सुधारने की अधिकतम अवधि "कार्यक्रम की अवधि+तीन वर्ष" होगी।

उदाहरण के लिएः– दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के लिए अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी तथा तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

8. **नियमित प्रणाली से दूरस्थ प्रणाली में स्थानान्तरण :**

1. विद्यार्थी जो कि कलिंगा विश्वविद्यालय के किसी कोर्स में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित है तथा रोजगार या अन्य किसी उचित कारण से जारी रखने में असमर्थ है, तो उसे तीसरे/पांचवे सेमेस्टर या दूसरे या तीसरे वर्ष में प्रवेश की अनुमति दी जावेगी। ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा परीक्षा योजना के अनुसार तथा दूरस्थ प्रणाली का पाठ्यक्रम का परीक्षण कर समय–समय पर लागू किया जाएगा।

2. ऐसे विद्यार्थी जो कि किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में नियमित/दूरस्थ/मुक्त शिक्षा/पत्र व्यवहार कोर्स में प्रवेशित है तथा किसी हालातों की वजह से जारी नही कर सकते अथवा किसी उचित कारण से छोड़ दिया है, द्वितीय या तृतीय वर्ष में पार्श्व प्रवेश की अनुमति संबंधित पाठ्यक्रम में दी जा सकेगी। ऐसे उम्मीदवार को तदानुसार डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

9. **मूल्यांकन एवं परीक्षा :**

1. **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमः** सभी सेमेस्टर में 07 दिन का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होगा या सप्ताहांत में जो कि उम्मीदवार की सुविधानुसार किया जाएगा।

संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा होगा ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कॉन्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

व्यकितगत संपर्क कार्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति में तथा असाईनमेंट के जमा करने पर विश्वविद्यालय परिसर/मान्य विद्यालय या महाविद्यालय में आनलाईन/आफलाईन दोनो प्रणाली से अंतिम सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा।

2. विद्यार्थीयो के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शिक्षण एवं मूल्यांकन योजना के आधार पर सतत् मूल्यांकन किया जा सकेगा जैसे असाईनमेंट, डिसरटेशन/ थीसिस/प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड सर्वे, वाईवा वोस, सेमेस्टर परीक्षा।

3. पुर्नगणना/पुर्नमूल्यांकन : अंको की पुर्नगणना एवं उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन सिर्फ विश्विद्यालय के थ्योरी पेपेर के लिए अनुज्ञप्त है। विश्वविद्यालय निर्धारित समय पर आवेदन प्रस्तुत करने पर तथा निर्धारित फीस के जमा होने पर आवेदित विषय के लिए अंको की पुर्नगणना तथा उत्तर पुस्तिका की पुर्नमूल्यांकन की अनुमति प्रदान करेगी। पुर्नगणना तथा पुर्नमूल्यांकन प्रथम मूल्यांकन कर्ता को छोड़कर किसी अन्य योग्य मूल्यांकनकर्ता के द्वारा किया जाएगा।

4. मूल्यांकन की योजना : अंको का आबंटन प्रत्येक थ्योरी पेपर में 70% तथा संबंधित पेपर के आंतरिक मूल्यांकन में 30% होगा। (यदि कोई है तो) प्रेक्टिकल परीक्षा है तो उसमे प्रैक्टिकल के 70% तथा 30% वाईवा वोस का होगा। प्रोजेक्ट मूल्यांकन (यदि कोई है तो) उसमें 70% प्रोजेक्ट या डिसरटेशन का तथा 30% वायवा वोस का होगा।

10. एटीकेटी अभ्यार्थियों के लिए पात्रता मापदंड :

एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे :

1. उम्मीदवार जो कि सेमेस्टर अंत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, संबंधित परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानो के आधार पर उसके अनुसार एटीकेटी की परीक्षा में शामिल होने का पात्र होगा।

2. एटीकेटी परीक्षा के विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है, की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा में, यदि वह मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक में उत्तीर्ण हो गया हो और केवल प्रायोगिक में यदि वह लिखित प्रश्न पत्र और प्रायोगिक दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया हो, को विषय के दोनों भाग में परीक्षा देनी होगी। प्रायोगिक और सैद्वांतिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर, दो विभिन्न प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल विद्यार्थी के रूप में परीक्षा ली जायेगी।

3. अभ्यर्थी, जिसे एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा चुका हो, को एटीकेटी परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में तत्काल होनी वाली अगली परीक्षा, जिसमें उसे इस प्रकार के पात्र होने के लिये विवर्जित किया गया था, में उपस्थित हो सकेगा और उसके पश्चात् अगली परीक्षा में समस्त प्रश्न पत्रों में शामिल होना आवश्यक होगा।

4. कोई अभ्यर्थी जो ऐटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, यदि वह विषय या समूह, जैसी भी स्थिति हो, में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता हो, परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। एटीकेटी सेमेस्टारांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्तांक अंको को, परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन प्राप्तांक का अवधारण करते हुए गणना में लिया जायेगा।

5. अभ्यथी के प्रथम प्रयास में उसके एटीकेटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल होने की स्थिति में, जब किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है, उसे विशिष्ट सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में उन प्रश्न पत्रों के साथ उत्तीर्ण करने हेतु, उसी विशिष्ट अभ्यर्थी को द्वितीय एटीकेटी के रूप में ज्ञात एक और प्रयास करने हेतु अवसर दिया जायेगा।

6. यदि ऐसा अभ्यर्थी, द्वितीय ऐटीकेटी के रूप में ज्ञात द्वितीय प्रयास में भी अपने प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने में असफल हो जाता है तो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना नहीं रह पायेगा।

11. **परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए मापदंड :**

1. स्नातक विद्यार्थियों के लिए सफल 33% अंक प्रत्यके पेपर में जिसमें सेमेस्टर अंत परीक्षा के अंक सम्मिलित होंगे तथा व्याख्यता के निरन्तर मूल्यांकन के अंक साथ ही सेमेस्टर अंत परीक्षा के प्रत्येक विषयों/पेपरों में 33% और कोर्स पास करने के लिए तथा समुनदेशित केडिट अर्जित सभी विषयों/पेपर्स में कुल अंक 36% आवश्यक होंगे। उम्मीदवार अगर प्रत्येक पेपर में सकल 33% से कम तथा सेमेस्टर में अंतिम पूर्णांक 36% से कम सेमेस्टर में अर्जित करता है, तो उसे उस कोर्स में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

2. विद्यार्थी, परिणाम घोषित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, विहित फीस का भुगतान करने पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के परीक्षा लेख की पुर्नजांच हेतु आवेदन कर सकेगा। पुर्नजांच से अभिप्रेत, यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्नों और उनके हिस्से प्रश्न पत्र के अनुसार सम्यक रूप से अंक दिये गये हैं और अंको का कुल योग सही है। भिन्नता पाये जाने की स्थिति दोनों में, समुचित परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टरांत परीक्षा की अंकसूची में परिशोधन किया जायेगा।

3. स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए सफल 35% अंक प्रत्यके पेपर में जिसमें सेमेस्टर अंत परीक्षा के अंक सम्मिलित होंगे तथा व्याख्यता के निरन्तर मूल्यांकन के अंक साथ ही सेमेस्टर अंत परीक्षा के प्रत्येक विषयों/पेपरों में 35% और कोर्स पास करने के लिए तथा समुनदेशित केडिट अर्जित सभी विषय/पेपर में कुल अंक 40% प्राप्त करने लेंगे। उम्मीदवार अगर प्रत्येक पेपर में सकल 35% से कम तथा सेमेस्टर में अंतिम पूर्णांक 40% से कम अर्जित करता है तो उसे उस कोर्स में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

4 स्नातक और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए सकल 33% अंक प्रत्येक पेपर में प्राप्त करने होंगे। जिसमें सेमेस्टर अंत परीक्षा के अंक सम्मिलित होंगे तथा व्याख्यता के निरन्तर मूल्यांकन के अंक साथ ही सेमेस्टर अंत परीक्षा के प्रत्येक विषय/पेपर्स में 33% और कोर्स पास करने के लिए तथा समुनदेशित केडिट अर्जित सभी विषयों/पेपर्स में कुल अंक 35% प्राप्त करने होंगे। उम्मीदवार अगर प्रत्येक पेपर में सकल 33% से कम तथा सेमेस्टर में अंतिम पूर्णांक 35% से कम अर्जित करता है तो उसे उस कोर्स में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

12. **पार्श्व प्रवेश पद्धति से प्रवेश :**

1. एम.बी.ए. कोर्स में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंको के साथ किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो पी.जी.डी.बी.ए. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी. डी.एम.एम. या विश्वविद्यालय से किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री के मानदंड के अनुसार एमबीए द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है।

2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन/बी.एस.–सी. कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी.एस.–सी. गणित मे स्नातक/बी.एस.–सी. गणित के साथ 10+2/बी.एस.–सी. उत्तीर्ण छात्र गणित का अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेकर।

3. एम.सी.ए द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता पीजीडीसीए (स्नातक के बाद) या DOEACC "A" स्तर की परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष माने जाने वाली किसी अन्य परीक्षा। एमसीए तृतीय वर्ष या पांचवे सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश उन लोगो को दिया जायेगा जिन्होने एम.एस.सी. (सी.एस.) या एम.एस.सी (आईटी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है।

13. निकास योजनाए :

1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन/बी.एस–सी. कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी.एस–सी. गणित मे स्नातक/बी.एस–सी. गणित के साथ 10+2 /बी.एस–सी. उत्तीर्ण छात्र गणित का अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेकर ।

2. एम.सी.ए. द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता पीजीडीसीए (स्नातक के बाद) या DOEACC "A" स्तर की परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष माने जाने वाली किसी अन्य परीक्षा। एमसीए तृतीय वर्ष या पांचवे सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश उन लोगो को दिया जायेगा जिन्होने एम.एस–सी. (सी.एस.) या एम.एस–सी. (आईटी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है।

14. सामान्य :

1. कोर्स से संबंधित सभी मामलो में, विषय के अध्ययन मंडल की अनुशंसा के आधार पर, कुलपति का निर्णय अंतिम होगा, परंतु ऐसे बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा। अध्ययन मंडल के द्वारा सभी पेपर का विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा तथा एकेडमिक काउंसिल एवं कुलपति द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा।

2. किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

3. उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी अन्य प्रावधान के नही होने पर कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर बनाये गये नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित होंगे।

4. दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी.इ.सी.) के अनुमोदन के बिना यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत कोई कार्यक्रम आरंभ नही किया जायेगा

5. दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देश/यू.जी.सी. द्वारा जारी समय–समय पर दूरस्थ शिक्षा के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005(क्र 13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –80

वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। बी.कॉम. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :

वाणिज्य संकाय.

4. प्रवेश :

बी.कॉम. पाठ्यक्रम में प्रवेश 10+2 परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनूरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

बी.कॉम. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005(क 13 सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–81
कला में स्नातक (बी.ए.)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :
दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत कला में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.ए.)संचालित किया जायेगा। बी.ए. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :
किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :
कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :
बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश 10+2 परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनूरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :
कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :
शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे।

7. शुल्क संरचना :
पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :
अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड़ की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

बी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005(क 13 सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र– 82
व्यवसाय प्रबंध में स्नातक (बीबीए)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत व्यवसाय प्रबंध में स्नातक (बीबीए) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। बीबीए पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :

वाणिज्य विभाग

4. प्रवेश :

बीबीए पाठ्यक्रम में प्रवेश 10+2 परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनूरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप की रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

बीबीए कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मुल्यांकन के लिए दूरस्थ शिक्षा संस्थान के तहत दो प्रतियॉ में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005(क्र 13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–83
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बीसीए)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बीसीए) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। बीसीए की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

4. प्रवेश :

बीसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश 10+2 परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनूरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना:

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम:

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

बीसीए के छात्र को थ्योरी पेपर /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

बीसीए कार्यक्रम के छात्र को औद्योगिक प्रशिक्षण के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक /शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मुल्यांकन के लिए निदेशक को डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. शिक्षण का तरीका:

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

बी.सी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–84

कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन/बी.एस.सी कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी.एस.सी.गणित मे स्नातक/बी. एस.सी गणित के साथ 10+2 /बी.एस.सी उत्तीर्ण छात्र गणित का अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेकर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
2. एम.सी.ए द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए योग्यता पीजीडीसीए (स्नातक के बाद) या DOEACC "A" स्तर की परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समकक्ष माने जाने वाली किसी अन्य परीक्षा। एमसीए तृतीय वर्ष या पांचवे सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश उन लोगो को दिया जायेगा। जिन्होने एम.एस.सी (सी.एस) या एम.एस.सी (आईटी) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया है।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

4. प्रवेश :

एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनूरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

एम.सी.ए. के छात्र को थ्योरी पेपर /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 36% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

एम.सी.ए. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट/शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट/शोध प्रबंध और संबंधित समन्वयक/शिक्षक /पर्यवेक्षक को मुल्यांकन के लिए निदेशक को डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–85

व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत व्यवसाय प्रबंध में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एमबीए पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

एम.बी.ए. कोर्स में प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थी को किसी भी वैधानिक विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी के अंको के साथ किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो पी.जी.डी.बी.ए. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.एम.एम. या विश्वविद्यालय से किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री के मानदंड के अनुसार एमबीए द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है।

3. संकाय :

प्रबंधन संकाय

4. प्रवेश :

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमो के अनुरूप आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देर्शो का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :–

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी। निम्नलिखित विशेषज्ञताओ में विकल्प प्रदान किये जायेंगे :–

- विपणन
- मानव संसाधन
- बैंकिग और वित्त
- ई–कामर्स
- अंकीय विपणन
- अस्पताल प्रबंधन
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
- अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
- जनसंपर्क
- अर्थशास्त्र

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष में होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

एम.बी.ए. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट/शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट/शोध प्रबंध और संबंधित समन्वयक/शिक्षक /पर्यवेक्षक को मुल्यांकन के लिए निदेशक को डुप्लिकेट में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–86

वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.कॉम पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम. स्नातक।

3. संकाय :

वाणिज्य संकाय.

4. प्रवेश :

एम.कॉम. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.कॉम. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–87

हिन्दी में स्नातकोत्तर– एम.ए. (हिन्दी)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(हिंदी) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए.(हिंदी) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (हिन्दी) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :–

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम हिन्दी होगा एवं परीक्षा मे हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(हिन्दी) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–88
अंग्रेजी में स्नातकोत्तर – एम.ए.(अंग्रेजी)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(अंग्रेजी) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए.(अंग्रेजी) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (अंग्रेजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी में लिखना होगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(अंग्रेजी) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–89
संस्कृत में स्नातकोत्तर –एम.ए.(संस्कृत)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(संस्कृत) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए.(संस्कृत) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से बी.ए./स्नातक संस्कृत विषय के साथ.

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (संस्कृत) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम संस्कृत एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में संस्कृत एवं हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(संस्कृत) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–90
लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर– एम.ए.(लोक प्रशासन)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(लोक प्रशासन) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए. (लोक प्रशासन) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (लोक प्रशासन) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(लोक प्रशासन) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–91

इतिहास में स्नातकोत्तर – एम.ए.(इतिहास)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(इतिहास) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा एम.ए.(इतिहास) की पाठ्यक्रम दो वर्ष चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (इतिहास) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(इतिहास) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–92

मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर – एम.ए.(मनोविज्ञान)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए. (मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी विभाग

4. प्रवेश :

एम.ए. (मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(मनोविज्ञान) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र – 93

राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर –एम.ए.(राजनीति विज्ञान)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(राजनीति विज्ञान) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए. (राजनीति विज्ञान) की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी विभाग

4. प्रवेश :

एम.ए. (राजनीति विज्ञान) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(राजनीति विज्ञान) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–94

अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर –एम.ए.(अर्थशास्त्र)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए. (अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए. (अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी विभाग

4. प्रवेश :

एम.ए. (अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

1. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विष्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–95
समाज शास्त्र मे स्नातकोत्तर – एम.ए.(समाज शास्त्र)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(समाज शास्त्र) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए. (समाज शास्त्र) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

1. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (समाज शास्त्र) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(समाज शास्त्र) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–96

गणित मे स्नातकोत्तर– एम.ए.(गणित)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(गणित) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए.(गणित) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

एम.ए. (गणित) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(गणित) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क–97
मास्टर ऑफ आर्ट्स इन भूगोल– एम.ए.(भूगोल)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत एम.ए.(भूगोल) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। एम.ए.(भूगोल) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (चार सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से प्रासंगिक विषय के साथ बी.ए. /स्नातक।

3. संकाय :

कला एवं मानविकी विभाग

4. प्रवेश :

एम.ए. (भूगोल) पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

एम.ए.(भूगोल) पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र– 98

पी.जी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत पी.जी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय.

4. प्रवेश :

पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

पी.जी.डी.सी.ए. के छात्र को प्रत्येक वर्ष /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

11. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र– 99

पी.जी. डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी (पी.जी.डी.एफ.टी.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई)के अंतर्गत पी.जी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी (पी.जी.डी.एफ.डी.टी.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.एफ.डी.टी. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. संकाय :

विज्ञान संकाय

4. प्रवेश :

पी.जी.डी.एफ.डी.टी. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

पी.जी.डी.एफ.डी.टी. के छात्र को प्रत्येक वर्ष/ सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.एफ.डी.टी. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

11. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

पी.जी.डी.एफ.डी.टी. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र– 100

पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स (पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई)के अंतर्गत पी.जी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.एचं.एम.इ.) संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

4. प्रवेश :

पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

10. शिक्षण का तरीकाः–

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय अंतराल के पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणामः

पी.जी.डी.सी.एच.एम.इ. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–101

पीजी डिप्लोमा इन रिटेल प्रबंधन (पी.जी.डी.आर.एम.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत पी.जी. डिप्लोमा इन रिटेल प्रबंधन (पी.जी.डी.आर.एम.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. संकायः

वाणिज्य संकाय

4. प्रवेशः–

पी.जी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.आर.एम. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

पी.जी.डी.आर.एम. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–102

पीजी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड ऐनिमेशन (पी.जी.डी.सी.जी.ए.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान ((डी.ई.आई)के अंतर्गत पी.जी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड ऐनिमेशन पाठ्यक्रम (पी.जी.डी.सी.जी.ए.) संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.सी.जी.ए. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

4. प्रवेश :

पी.जी.डी.सी.जी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

पी.जी.डी.सी.जी.ए. के छात्र को प्रत्येक पेपर/सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.सी.जी.ए. कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

11. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग उपलब्ध की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

12. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

पी.जी.डी.सी.जी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–103
पी.जी. डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड टेक्स कंसल्टेन्सी (पी.जी.डी.एफ.टी.सी.)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डीडीई) के अंतर्गत

1. **कार्यक्रम :**

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत पी.जी डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड कंसल्टेन्सी (पी.जी.डी. एफ.टी.सी.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। पी.जी.डी.एफ.टी.सी. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. **प्रवेश के लिए पात्रता :**

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

3. **संकाय :**

वाणिज्य संकाय

4. **प्रवेश :**

पी.जी.डी.एफ.टी.सी पाठ्यक्रम में प्रवेश स्नातक परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. **पाठ्यक्रम की रूप रेखा :**

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. **शैक्षणिक वर्ष :**

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. **शुल्क संरचना :**

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. **माध्यम :**

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. औद्योगिक / प्रायोगिक प्रशिक्षण :

पी.जी.डी.एफ.टी.सी कार्यक्रम के छात्र को अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के आधार पर एक परियोजना रिर्पोट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। संबंधित संगठन और संबंधित समन्वयक/शिक्षक द्वारा प्रमाणित परियोजना रिर्पोट को मूल्यांकन के लिए निदेशक को दो प्रतियॉ में प्रस्तुत करना होगा।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में हागी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

पी.जी.डी.एफ.टी.सी पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र–104

फोरेंसिक साइंस एंड किमीनोलॉजी में डिप्लोमा

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस एंड किमीनोलॉजी (डी.एफ. एस.सी.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। डी.एफ.एस.सी. की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन या समकक्ष से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण.

3. संकाय :

विज्ञान संकाय

4. प्रवेश :

डी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

डी.एफ.एस.सी. के छात्र को थ्योरी पेपर /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

डी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क़ – 105

डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई)के अंतर्गत डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। डी.सी.ए. की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :

सूचना प्रौद्योगिकी संकाय

4. प्रवेश :

डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :–

डी.सी.ए. के छात्र को प्रत्येक पेपर/सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क् –106

एन्टरप्रन्योरशिप डेव्हलपमेंट में डिप्लोमा (डी.इ.डी)
दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. **कार्यक्रम :**

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत डिप्लोमा इन एन्टरप्रन्योरशिप डेव्हलपमेंट (डी.इ.डी) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। डी.इशिप की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. **प्रवेश के लिए पात्रता :**

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. **संकाय :**

प्रबंधन संकाय

4. **प्रवेश :**

डि.इशिप पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. **पाठ्यक्रम की रूप रेखा :**

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. **शैक्षणिक वर्ष :**

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. **शुल्क संरचना :**

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. **माध्यम :**

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

डी.इ.डी के छात्र को प्रत्येक पेपर /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

डी.इ.डी पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश क्रमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र 107

इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिप्लोमा (डी.आइ.पी.एम.)

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिप्लोमा (डी. आइ.पी.एम.) पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। डी.आइ.पी.एम. की अवधि एक वर्ष (दो सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3. संकाय :

प्रबंधन संकाय

4. प्रवेश :

डी.आइ.पी.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

डी.आइ.पी.एम के छात्र को प्रत्येक पेपर/सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

डी.आइ.पी.एम पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय,रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालक) अधिनियम,2005 (क्र 13सन् 2005)के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –108

इंटिरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन मे एडवांस डिप्लोमा

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आईडीई) के अंतर्गत

1. कार्यक्रम :

दूरस्थ शिक्षा संस्थान (डी.ई.आई) के अंतर्गत इंटिरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन मे एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस कार्यक्रम की अवधि तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) की होगी। पाठ्यक्रम पूरा करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता :

यू.जी.सी. या समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.

3. संकाय :

कला एवं मानविकी संकाय.

4. प्रवेश :

इंटिरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन मे एडवांस डिप्लोमा में प्रवेश मेरिट परीक्षा के अंको की प्रावीण्यता और/अथवा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप आयेजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. पाठ्यक्रम की रूप रेखा :

कार्यक्रम की पाठ्यक्रम की रूप रेखा समय–समय पर अध्ययन बोर्ड/अकादमिक परिषद द्वारा तय की जायेगी।

6. शैक्षणिक वर्ष :

शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दो चक्र होंगे– प्रथम शैक्षणिक चक्र जुलाई से जून तथा द्वितीय जनवरी से दिसम्बर तक प्रत्यके वर्ष होंगे.

7. शुल्क संरचना :

पाठ्यक्रम की शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

8. **माध्यम :**

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा में अंग्रेजी/हिन्दी में लिखा जा सकेगा।

9. प्रायोगिक कार्य :

इंटीरियर डिजाइनिंग एवं डेकोरेशन में एडवांस डिप्लोमा के छात्र को प्रत्येक पेपर /सेमेस्टर के आधार पर प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्रैक्टिकल परीक्षा में उम्मीदवार को कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

10. शिक्षण का तरीका :

(i) अध्यापन के प्रत्येक पेपर हेतु स्व अध्ययन पाठ्य साम्रगी निश्चित समय के अंतराल पर नामांकित विद्यार्थियों के लिए भेजी जाएगी तथा वेबसाइट में अपलोड की जायेगी। यह पाठ्य साम्रगी छात्रों के प्रभावी ज्ञान अर्जन के लिए मार्गदर्शक के रूप में होगी। आंतरिक मूल्यांकन हेतु नियत कार्य (असाइनमेंट) भी पाठ्य सामग्री के साथ भेजे जाऐंगे/अपलोड किये जायेंगे।

(ii) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम**

(अ) प्रत्येक वर्ष में 15 दिन अथवा प्रत्येक सेमेस्टर में 7 दिन या सप्ताहांत में छात्रों की सुविधानुसार व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम किया जायेगा। संपर्क कार्यक्रम का स्थान विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर होगा।

(ब) संपर्क कार्यक्रम का आयोजन ई–लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवादात्मक सभा के लिए विडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा/या टेली कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

11. परीक्षा, मूल्यांकन एवं परिणाम :

इंटीरियर डिजाइनिंग एवं डेकोरेशन में एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा, मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामों की घोषणा दूरस्थ शिक्षा के अध्यादेश कमांक 79 के अनुसार की जावेगी।

किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जावेगा।

Atal Nagar, the 19th December 2019

NOTIFICATION

No. F 3-4/2013/38-2 (Part). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 827/PU/Kalinga Uni./2016/10983, Dated 26-09-2019 has approved the New Ordinances No. 79 to 108 of Kalinga University, Village-Kotni Palod, Teh.-Arang, Distt.-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Secretary.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR
Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005

Ordinance No. 79
Distance Education Programmes
Under Institute of Distance Education (IDE)

1. APPLICABILITY:

Institute of Distance Education shall offer the following professional and traditional courses of under graduate / post graduate level (in semester mode) for the award of Degrees / Diploma and these programmes will be governed by this Ordinance.

These rules will be applicable for the following Ordinances :

Ordinance No.	Name of Course	Duration	Scheme of Examination	Medium of Instruction and Examination
UNDERGRADUATE PROGRAMMES				
80	Bachelor of Commerce (B.Com)	3-Years	Semester	English/Hindi
81	Bachelor of Arts (BA)	3-Years	Semester	English/Hindi
82	Bachelor of Business Administration (BBA)	3-Years	Semester	English/Hindi
83	Bachelor of Computer Application (BCA)	3-Years	Semester	English/Hindi
POSTGRADUATE PROGRAMMES				
84	Master of Computer Application (MCA)	3-Years	Semester	English /Hindi
85	Master of Business Administration (MBA)	2-Years	Semester	English /Hindi
86	Master of Commerce (M.Com)	2-Years	Semester	English/Hindi
87	Master of Arts in Hindi -MA (Hindi)	2-Years	Semester	Hindi
88	Master of Arts in English- MA (English)	2-Years	Semester	English
89	Master of Arts in Sanskrit -MA (Sanskrit)	2-Years	Semester	Sanskrit/Hindi
90	Master of Arts in Public Administration- MA (Public Administration)	2-Years	Semester	English/Hindi
91	Master of Arts in History- MA (History)	2-Years	Semester	English/Hindi
92	Master of Arts in Psychology- MA (Psychology)	2-Years	Semester	English/Hindi
93	Master of Arts in Political Science- MA (Political Science)	2-Years	Semester	English/Hindi
94	Master of Arts in Economics- MA (Economics)	2-Years	Semester	English/Hindi
95	Master of Arts in Sociology- MA (Sociology)	2-Years	Semester	English/Hindi
96	Master of Arts in Mathematics- MA (Mathematics)	2-Years	Semester	English/Hindi
97	Master of Arts in Geography- MA (Geography)	2-Years	Semester	English/Hindi

POSTGRADUATE DIPLOMA PROGRAMMES				
98	Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)	1-Year	Semester	English/Hindi
99	Post Graduate Diploma in Fashion Designing & Technology (PGDFDT)	1-Year	Semester	English/Hindi
100	Post Graduate Diploma in Computer Hardware Maintenance & Electronics(PGDCHME)	1-Year	Semester	English/Hindi
101	Post Graduate Diploma in Retail Management(PGDRM)	1-Year	Semester	English/Hindi
102	Post Graduate Diploma in Computer Graphics & Animation (PGDCGA)	1-Year	Semester	English/Hindi
103	Post Graduate Diploma in Finance & Tax Consultancy (PGDFTC)	1-Year	Semester	English/Hindi
DIPLOMA PROGRAMMES				
104	Diploma in Forensic Science & Criminology (D.F.S.C.)	1-Year	Semester	English/Hindi
105	Diploma in Computer Application (D.C.A.)	1-Year	Semester	English/Hindi
106	Diploma in Entrepreneurship Development (D.Eship)	1-Year	Semester	English/Hindi
107	Diploma in Investments & Portfolio Management(D.I.P.M)	1-Year	Semester	English/Hindi
108	Advance Diploma in Interior Designing & Decoration (ADIDD)	3-Years	Semester	English/Hindi

2. ELIGIBILITY:

2.1 A candidate seeking admission to the course leading to the award of a Diploma/Bachelor's Degree should have passed 10+2 examination from C.G.Board of secondary education or from any recognized Board of Secondary Education or equivalent with relevant subjects.

2.2 A candidate seeking admission to the course leading to the award of Post-Graduate Diploma/Master's degree should have passed Graduation from any University recognized by UGC or equivalent.

3. ACADEMIC YEAR:

There will be two academic cycles one from July to June and the other from January to December every year.

4. ADMISSION:

The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university and in other publicity media including social media before the start of every academic cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also submit Applications for Admission. Application may be submitted at authorized counseling centers/ or Institute of Distance Education through offline/ online mode. Such candidates however must produce the Mark Sheets of last semester/year exam passed and bonafide letter mentioning that candidate has appeared in last semester/year and waiting for result, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.

5. CANCELLATION OF ADMISSION:

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:-

1. **At any stage**, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. **Involvement** in gross indiscipline in the Institute/University.
3. **He/She** is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission
4. **The fee** is not paid by student.
5. The application form is incomplete in any way.
6. **The supporting** documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

6. PROMOTION TO HIGHER SEMESTER/YEAR:

The candidate may be promoted to the next semester/year of Bachelor's/Master's/P.G. Diploma's automatically unless detained from examination on any genuine grounds.

7. DURATION:

Maximum duration for passing and improvement of scores of a programme shall be "Duration of the course + three years".
For example, for two year Master's Degree course, maximum duration shall be 5 years and for three years Bachelor's courses the maximum duration shall be six years'.

8. SHIFTING FROM REGULAR MODE TO DISTANCE MODE:

1. The students who are pursuing any of the courses in Kalinga University as a regular student and unable to continue as such on account of employment or any justified reason shall be allowed admission in the 3rd /5th semester or 2nd or 3rd year, of the programmes, as the case may be, being offered by the Kalinga University. All such candidates shall be examined as per the scheme of examination and syllabi as is applicable to them in distance mode, from time to time.
2. The students who are pursuing any of the courses/programmes, as a regular/distance/open learning/correspondence courses student of any other University/Institute and unable to continue under any compelling circumstances or has taken drop out with justified grounds shall be allowed admission in the 2nd year or in 3rdyear as the case may be, under lateral entry in the concerned programme. All such candidates will be awarded degree/diploma accordingly.

9. EVALUATION & EXAMINATION:

1- **Personal Contact Program:** There will be personal contact program of 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates.

The contact programmes may be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and / or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

After successful completion of personal contact program and submission of assignments the semester end examination may be conducted at the University Campus/ any recognized school/ college in online/ offline/ both of these modes.

2- The performance of students shall be evaluated through Continuous evaluation like assignment, Dissertations/Thesis/Project work, field survey, viva voce, End semester examinations etc. as required as per the Teaching & Evaluation Scheme.

3- **Re-totaling/ Revaluation:** Re-totaling of marks and revaluation of answer sheets shall be permitted for theory papers of university examination only. The University, on application within stipulated time and remittance of prescribed fees, shall permit a recounting of marks and/or revaluation for the subjects applied. Re-totaling and revaluation shall be done by another qualified examiner other than the first evaluator.

4- **Scheme of Evaluation:** The allocation of marks shall be 70% in each theory paper and 30% in the concerned Internal Assessment. There shall be practical examinations (if any) with 70% marks on practical and 30% marks on viva-voce related to practicals. There shall be project evaluation (if any) with 70% marks on project/ dissertation and 30% on its viva-voce.

10. **Eligibility Criteria for ATKT candidate**:

The following shall be eligible to appear at ATKT examination:

Candidate who has failed at any Semester End Examination shall be eligible to appear at an ATKT examination in accordance with the provisions of the respective Examination Ordinance.

1. In the case of subject ATKT examination in which there is also a practical test a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical. And in practical only if he has passed in the written papers. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both the parts of the subject. Failing in practical and theory papers will be taken as failure to pass in two different papers.

2. A candidate who has been declared eligible for ATKT examination may appear as ATKT examination candidate in the next examination immediately following the examination in which he has declared to be so eligible and thereafter he shall be required to appear in all the papers at the next examination.

3. A candidate appearing in the ATKT Examination shall be declared to have passed the examination if he/she secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be. The marks obtained by the candidate in the ATKT/Semester Examination shall be taken into account in determining the final division obtained by the candidate at the examination.

4. In case a candidate fails to pass his ATKT examination in first attempt, he/she will be provided one more attempt known as second ATKT Examination for that particular Candidate, to pass those papers along with the regular Examination of that particular semester, whenever it is conducted by the university.

5. If such a candidate fails to pass his papers even in the second attempt known as Second ATKT then he/she shall cease to be a student of the University.

11. CRITERIA FOR PASSING EXAMINATION:

1. For Under Graduate students, obtaining a minimum of 33% marks in aggregate in each paper that includes the marks of semester-end examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 33% marks separately in each subject/paper in Semester end examination, and 36% mark in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate who secures less than 33% of aggregate marks in a paper and less than 36% of marks in grand total in a semester shall be deemed to have failed in that course.

2. A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for rechecking of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Rechecking shall mean subject mark all the questions and their parts have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

3. For Post graduate students, obtaining a minimum of 35% marks in aggregate in each paper that includes the marks of semester-end examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 35% marks separately in each subject/paper in semester end examination, and 40 %marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper and less than 40% of marks in grand total in a semester shall be deemed to have failed in that course.

4. Under Graduate & Post graduate Diploma Courses students, obtaining minimum of 33% marks in aggregate in each paper that includes the marks of semester-end examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 33% marks separately in each subject/paper in Semester end examination, and 35% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 33% of aggregate marks in a paper and less than 35 of marks in grand total in a semester shall be deemed to have failed in that course.

12. ADMISSIONS THROUGH LATERAL ENTRY SCHEME:

1. A candidate seeking admission to two years MBA program should have a graduate/postgraduate degree in any discipline with atleast second division marks from any statutory University. A candidate who has passed P.G.D.B.A. of P.G.D.M.M. of the University or any other equivalent recognized degree from a University shall be admitted in MBA-II year as norms.

2. Graduation in Computer Applications/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Mathematics/ B.Sc with mathematics upto 10+2/B.Sc. with additional course in Mathematics.

3. Lateral entry to MCA II year or third semester will be given to the students having qualification PGDCA (after graduation) or DOEACC "A" level examination or any other examination considered equivalent by the University. The lateral entry to MCA III year or fifth semester will be given to those who have passed M.Sc. (CS) or M.SC.(IT) course from a recognized University.

13. EXIT SCHEMES:

1. Graduation in Computer Applications/B.Sc. Computer Science/B.Sc. Mathematics/ B.Sc with mathematics upto 10+2/B.Sc. with additional course in Mathematics.

2. Lateral entry to MCA II year or third semester will be given to the students having qualification PGDCA (after graduation) or DOEACC "A" level examination or any other examination considered equivalent by the University. The lateral entry to MCA III year or fifth semester will be given to those who have passed M.Sc. (CS) or M.SC.(IT) course from a recognized University.

14. General:

1. In all matters, pertaining to the course, the decision of the Vice-Chancellor of the university, based on the recommendation of the Board of Studies of the subject, shall be final, Provided that a prior approval for the change from Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC) shall be necessary. Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

2. In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of the Chhattisgarh High court .

3. Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time.

4. No program will be started under institute of Distance Education without prior approval of Distance Education Council (DEC) of U.G.C. (University Grants Commission)

5. Instruction issued by DEC/U.G.C. regarding Distance Education from time to time will be followed in all the programs.

----------00----------

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 80

BACHELOR OF COMMERCE (B.Com.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Bachelor of Commerce (B.Com.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of B.Com. program shall be three years (Six Semesters). Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. FACULTY :

Faculty of Commerce.

4. ADMISSION :

Admission to B.Com. program shall be through merit of 10+2 Examination and/or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of B.Com. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 81

BACHELOR OF ARTS (BA)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
   Bachelor of Arts (BA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of BA program shall be three years (six semesters). Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
   Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
   Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
   Admission to BA program shall be through merit of 10+2 Examination and/or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
   The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
   There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
   The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
   English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of BA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 82

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (BBA)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Bachelor of Business Administration (BBA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of BBA program shall be three years (Six semesters). Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Commerce.

4. **ADMISSION :**
Admission to BBA program shall be through merit of 10+2 Examination and/or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of BBA program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education for evaluation.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of BBA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 83

BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Bachelor of Computer Application (BCA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of BCA program shall be three years (six semesters). Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Information Technology.

4. **ADMISSION :**
Admission to BCA program shall be through merit of 10+2 Examination and/or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of BCA shall be required to perform practicals based on theory papers/semester(s). The candidates will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of BCA program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

11. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

12. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of BCA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 84

MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (MCA)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Master of Computer Applications (MCA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of MCA program shall be three years (six semesters) . Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

(i) Graduation in Computer Applications/ B.Sc.Computer Sciecne/ B.Sc. Mathematics/ B.Sc. with Mathematics upto 10+2/ B.Sc. with additional course in Mathematics .

(ii) Lateral entry to MCA II year or third semester will be given to the students having qualification PGDCA (after graduation) or DOEACC "A" level examination or any other examination considered equivalent by the University. The lateral entry to MCA III year or fifth semester will be given to those who have passed M.Sc. (CS) or M.Sc.(IT) course from a recognized University.

3. FACULTY :

Faculty of Information Technology.

4. ADMISSION :

Admission to MCA program shall be through merit of Graduation Examination and/or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of MCA shall be required to perform prescribed practicals each year/semester(s). The candidates will have to obtain minimum 36% marks in each practical examination.

10. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of MCA program shall be required to submit a project report/ dissertation based on the areas of his/her specialization. The project report/dissertation certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher/supervisor shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

11. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

12. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of MCA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 85

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Master of Business Administration (MBA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of MBA program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

A candidate seeking admission to two years MBA program should have a graduate/postgraduate degree in any discipline with atleast second division marks from any statutory University. A candidate who has passed P.G.D.B.A. or P.G.D.M.M. of the University or any other equivalent recognized degree from a University shall be admitted in MBA-II year as per norms.

3. FACULTY :

Faculty of Management.

4. ADMISSION :

Admission to MBA program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time. The following specializations will be offered:-

- Marketing
- Human Resource
- Banking & Finance
- E-Commerce
- Digital Marketing
- Hospital management
- International Business
- International Relations
- Public Relations
- Economics

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of MBA program shall be required to submit a project report/ dissertation based on the areas of his/her specialization. The project report/dissertation certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher/supervisor shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of MBA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 86

MASTER OF COMMERCE (M.COM.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Commerce (M.Com.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.Com. program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
B.Com Graduation from any University recognized by UGC or equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Commerce.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.Com. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.Com. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 87

MASTER OF ARTS IN HINDI – MA(HINDI)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Hindi MA (Hindi) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of MA (Hindi) program shall be two years(four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to MA (Hindi) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination will be written in Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of MA(Hindi) Course will be taken care of as per Ordinance No.79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 88

MASTER OF ARTS IN ENGLISH – M.A. (ENGLISH)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Master of Arts in English M.A. (English) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (English) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

BA/Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent

3. FACULTY :

Faculty of Arts and Humanities.

4. ADMISSION :

Admission to M.A. (English) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English shall be the medium of Instruction and the Examination shall be written in English.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (English) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 89

MASTER OF ARTS IN SANSKRIT – M.A. (SANSKRIT)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Sanskrit M.A. (Sanskrit) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Sanskrit) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA Graduation with Sanskrit as one of the subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Sanskrit) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
Hindi and Sanskrit shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in Hindi and Sanskrit.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Sanskrit) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 90

MASTER OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION – M.A. (PUBLIC ADMINISTRATION)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Public Administration M.A. (Public Administration) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Public Administration) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Public Administration) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Public Administration) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 91

MASTER OF ARTS IN HISTORY – M.A. (HISTORY)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in History M.A. (History) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. ((History) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (History) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (History) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 92

MASTER OF ARTS IN PSYCHOLOGY – M.A. (PSYCHOLOGY)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Master of Arts in Psychology M.A. (Psychology) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Psychology) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. FACULTY :

Faculty of Arts and Humanities.

4. ADMISSION :

Admission to M.A. (Psychology) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Psychology) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 93

MASTER OF ARTS IN POLITICAL SCIENCE – M.A. (POLITICAL SCIENCE)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Political Science M.A. (Political Science) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Political Science) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Political Science) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Political Science) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 94

MASTER OF ARTS IN ECONOMICS– M.A. (ECONOMICS)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. PROGRAM :

Master of Arts in Economics M.A. (Economics) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Economics) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. ELIGIBILITY FOR ADMISSION :

BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. FACULTY :

Faculty of Arts and Humanities.

4. ADMISSION :

Admission to M.A. (Economics) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. COURSE CONTENTS :

The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. ACADEMIC YEAR :

There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. FEE STRUCTURE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. MEDIUM :

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Economics) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 95

MASTER OF ARTS IN SOCIOLOGY– M.A. (SOCIOLOGY)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Economics M.A. (Sociology) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Sociology) program shall be two years (four semesters). Maximu m duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Sociology) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Sociology) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 96

MASTER OF ARTS IN MATHEMATICS – M.A. (MATHEMATICS)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Mathematics M.A. (Mathematics) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Mathematics) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Mathematics) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Mathematics) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 97

MASTER OF ARTS IN GEOGRAPHY – M.A. (GEOGRAPHY)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
Master of Arts in Geography M.A. (Geography) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of M.A. (Geography) program shall be two years (four semesters). Maximum duration for completing the course shall be five years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
BA/ Graduation with relevant subject from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to M.A. (Geography) program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

10. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of M.A. (Geography) Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 98

POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION- PGDCA

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of (PGDCA) program shall be one years (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Information Technology.

4. **ADMISSION :**
Admission to PGDCA program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of PGDCA shall be required to perform prescribed practical each year/semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of PGDCA program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

11. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

12. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of PGDCA Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 99

POST GRADUATE DIPLOMA IN FASHION DESIGNING & TECHNOLOGY (P.G.D.F.D.T.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Fashion Designing & Technology (P.G.D.F.D.T.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of (P.G.D.F.D.T.) program shall be one years (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Science.

4. **ADMISSION :**
Admission to P.G.D.F.D.T. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of P.G.D.F.D.T. shall be required to perform prescribed practical each year/semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of P.G.D.F.D.T. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 100

POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE MAINTENANCE & ELECTRONICS (P.G.D.C.H.M.E.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Computer Hardware Maintenance & Electronics (P.G.D.C.H.M.E.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of (P.G.D.C.H.M.E.) program shall be one years (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Information Technology.

4. **ADMISSION :**
Admission to P.G.D.C.H.M.E. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of PGDFDT shall be required to perform prescribed practical each year/semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. INDUSTRIAL/PRACTICAL TRAINING :

A student of P.G.D.C.H.M.E. program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

11. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

12. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of P.G.D.C.H.M.E. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 101

POST GRADUATE DIPLOMA IN RETAIL MANAGEMENT (P.G.D.R.M.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Retail Management (P.G.D.R.M.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of (P.G.D.R.M.) program shall be one years (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Commerce.

4. **ADMISSION :**
Admission to P.G.D.R.M. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. INDUSTRIAL/ PRACTICAL TRAINING :

A student of P.G.D.R.M. program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of P.G.D.R.M. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 102

POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER GRAPHICS & ANIMATION (P.G.D.C.G.A.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Computer Graphics & Animation (P.G.D.C.G.A.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of (P.G.D.C.G.A.) program shall be one years (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Information Technology.

4. **ADMISSION :**
Admission to P.G.D.C.G.A. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of P.G.D.C.G.A. shall be required to perform prescribed practical each year/semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. INDUSTRIAL/ PRACTICAL TRAINING :

A student of P.G.D.C.G.A. program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

11. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

12. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of P.G.D.C.G.A. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 103

POST GRADUATE DIPLOMA IN FINANCE & TAX CONSULTANCY (P.G.D.F.T.C.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Post Graduate Diploma in Finance & Tax Consultancy (P.G.D.F.T.C.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of P.G.D.F.T.C. program shall be one years(two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Graduation from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Commerce.

4. **ADMISSION :**
Admission to P.G.D.F.T.C. program shall be through merit of Graduation Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. INDUSTRIAL/ PRACTICAL TRAINING :

A student of P.G.D.F.T.C. program shall be required to submit a project report based on the areas of his/her specialization. The project report certified by the concerned organization and the concerned coordinator/teacher shall be submitted in duplicate to the Institute of Distance Education Programme for evaluation.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of P.G.D.F.T.C. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 104

DIPLOMA IN FORENSIC SCIENCE & CRIMINOLOGY (D.F.S.C.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Diploma in Forensic Science & Criminology (D.F.S.C.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of D.F.S.C. program shall be one year (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 with Physics, Chemistry and Maths subjects from recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Science.

4. **ADMISSION :**
Admission to DFSC program shall be through merit Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of D.F.S.C. shall be required to perform prescribed practical each year/ semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of D.F.S.C. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 105

DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (D.C.A.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Diploma in Computer Application (D.C.A.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of D.C.A. program shall be one year (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Information Technology.

4. **ADMISSION :**
Admission to D.C.A. program shall be through merit Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of D.C.A. shall be required to perform prescribed practical each year/ semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of D.C.A. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 106

DIPLOMA IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (D.E.D)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Diploma in Entrepreneurship Development (D.E.D) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of D.E.D program shall be one year(two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Management.

4. **ADMISSION :**
Admission to D.E.D program shall be through merit Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of D.E.D shall be required to perform prescribed practical each year/ semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of D.E.D Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 107

DIPLOMA IN INVESTMENTS & PORTFOLIO MANAGEMENT (D.I.P.M.)

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Diploma in Investments & Portfolio Management (D.I.P.M.) program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of D.I.P.M. program shall be one year (two semesters). Maximum duration for completing the course shall be four years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Passed in 10+2 Examination from C.G.Board of Secondary Education or from any recognized Board of Secondary Education or Equivalent

3. **FACULTY :**
Faculty of Management.

4. **ADMISSION :**
Admission to D.I.P.M. program shall be through merit Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of D.I.P.M. shall be required to perform prescribed practical each year/ semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of D.I.P.M. Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 108

ADVANCE DIPLOMA IN INTERIOR DESIGNING & DECORATION

Under Institute of Distance Education (IDE)

1. **PROGRAM :**
The Advanced Diploma in Interior Designing & Decoration program shall run under the Institute of Distance Education (IDE). The duration of this program shall be three years (six semesters). Maximum duration for completing the course shall be six years.

2. **ELIGIBILITY FOR ADMISSION :**
Students pursuing Graduation courses from any University recognized by UGC or Equivalent.

3. **FACULTY :**
Faculty of Arts and Humanities.

4. **ADMISSION :**
Admission to Advanced Diploma in Interior Designing & Decoration program shall be through merit Examination and /or, entrance test as per rules of the University. Guidelines issued by Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh in this regard from time to time shall be followed.

5. **COURSE CONTENTS :**
The contents of the course of the program shall be decided by the Board of Studies/ Academic Council from time to time.

6. **ACADEMIC YEAR :**
There will be two academic cycles- one from July to June and the other from January to December, every year.

7. **FEE STRUCTURE :**
The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

8. **MEDIUM :**
English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be written in English or Hindi.

9. PRACTICAL WORK :

A student of Advanced Diploma in Interior Designing & Decoration course shall be required to perform prescribed practical each year/ semester(s). The candidate will have to obtain minimum 33% marks in each practical examination.

10. METHOD OF INSTRUCTION :

(i) The self- instructional study materials will be dispatched periodically or uploaded in the website for the enrolled students for each paper of study. These materials will be as guide for the students for effective learning. The assignments for internal assessment shall also be dispatched/ uploaded along with the study materials.

(ii) PERSONAL CONTACT PROGRAM

(a) There will be personal contact program of 15 days duration for the course in a year or 7 days in each semester or during the week-ends for convenience of the candidates. The place of contact program shall be Main Campus of the University.

(b) The contact programmes may also be organized through e-learning programs. In such a case, the videoconferencing and /or teleconferencing facilities may be available for interactive sessions.

11. EXAMINATION, EVALUATION AND RESULTS :

The Examination and evaluation and declaration of results of Advanced Diploma in Interior Designing & Decoration Course will be taken care of as per Ordinance No. 79 for distance education program.

In case of any dispute the matter shall be decided in the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.